www.starsavera.com

स्टार सवेरा

दैनिक

(03) ध्वजारोहण यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं, बल्कि नए युग का .....

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के इजरायल दौरे से द्विपक्षीय .... (02)

RNI No- DELHIN/2005/16801 वर्ष : 20 अंक : 314 दिल्ली संस्करण नई दिल्ली, बुधवार, 26 नवंबर , 2025 पृष्ठ :12 मुल्य :01 रुपए

श्रम कोड लागू होना बदलते युग और ऐतिहासिक बदलाव हम सभी के लिए गौरव की बात है : साहिल अग्रवाल

» स्टार सवेरा,एजेंसी।

नई दिल्ली। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्षों से चले आ रहे 29 पुराने श्रम कानूनों को समाप्त कर चार कानूनों को संपूर्ण भारत में नए श्रम कोड के रूप में 21 नवम्बर, 2025 से लागू कर नए युग की शुरूआत की है। ये हैं - वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता। इसके माध्यम से श्रम नियमों को सरल, आधुनिक और पारदर्शी बनाना गया है। इसका लक्ष्य असंगठित क्षेत्र, गिग वर्कर्स और महिलाओं को बेहतर सुरक्षा प्रदान करना है। आत्मनिर्भत भारत के लिए श्रम सुधार मील का पत्थर साबित होगा। उप क्षेत्रीय कार्यालय ओखला के साहिल अग्रवाल, संयुक्त निदेशक प्रभारी ने नए श्रम कोड के बारे में बताते हुए कहा कि नए श्रम कोड लागू होने से सभी कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी की गारंटी मिलेगी, चाहे वे किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हों। इसके अलावा अब 5 साल की जगह 1 साल की सेवा के बाद ही ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। नए श्रम कोड के तहत अब ऐसे खतरनाक औद्योगिक ईकाइयों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम लागू हो सकेगा जो उनके बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करेगा। इससे निश्चिय रूप से भारत की तश्वीर बदलेगी। इस बदलते युग और ऐतिहासिक बदलाव के हम सब हिस्सा बने हैं, यह हम सभी के लिए गौरव की बात है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा बीमांकित व्यक्तियों एवं उनके परिवारजनों को ईएसआई के विभिन्न औषधालयों, अस्पतालों के माध्यम से मेडिकल केयर, बीमारी में कैश बेनिफिट, मातृत्व लाभ, रोजगार से संबंधित चोट पर लाभ, आश्रितों के लिए पेंशन इत्यादि की सुविधा प्रदान करता आ रहा है। आगे भी बीमा धारकों की सेवा करने की दिशा में अग्रसर रहेगा।